पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1702

==========

1. उपेन्द्र मांझी
2. योगेन्द्र मांझी दोनों पुत्र स्वर्गीय शिवपूजन मांझी निवासी रामचन्द्रपुर, पी.एस.- थावे, जिला - गोपालगंजं

.. ... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. प्रकाश मांझी
2. परशुराम मांझी दोनों पुत्र स्वर्गीय सुदर्शन मांझी ग्राम निवासी- रामचन्द्रपुर, पी.एस.- थावे, जिला- गोपालगंज
3. मंजू देवी पति- कृष्णा राम निवासी थावे विदेशी टोला, थाना- थावे, जिला- गोपालगंज
4. नीलम देवी पति- ध्रुप मांझी, पुत्री सुदर्शन मांझी निवासी बरगछिया, पी.एस.- थावे, जिला- गोपालगंज
5. देवेन्द्र सिंह पति- स्वर्गीय कुबेर सिंह
6. विमला देवी पति- अरुण सिंह
7. सुनैना देवी पति- स्व.जयप्रकाश सिंह
8. रवि प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह
9. रजत कुमार उर्फ बालहे सिंह
10. रीता कुमारी उर्फ बुदकी, स्वर्गीय जयप्रकाश सिंह के सभी पुत्र एवं पुत्री
11. अजय सिंह
12. बबलू सिंह
13. मंटू सिंह सभी स्वर्गीय धर्मेंद्र सिंह के पुत्र हैं, जो कुबेर सिंह के पोते हैं
14. अभय शरण सिंह
15. सुबोध सिंह दोनों रणधीर सिंह के पुत्र हैं
16. हरबंश राय पुत्र दुर्गा राय सभी निवासी ग्राम-रामचन्द्रपुर, थाना- थावे, जिला-गोपालगंज
17. राधिका देवी पति- बबन मांझी
18. विजेंद्र कुमार मांझी
19. नरेन्द्र कुमार मांझी सभी पुत्र रामपृत मांझी सभी ग्राम निवासी- खरगौली, जलालपुर, पी.एस. कुचायकोट, जिला-गोपालगंज।

.. ..प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री पंकज कुमार दुबे, अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रतिवादियों की ओर से : श्री नागेन्द्र राय, अधिवक्ता

श्री नवीन निकुंज, अधिवक्ता

==========

इस निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VI नियम 17 के सख्त अनुपालन की पुष्टि की गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि मुकदमे की सुनवाई शुरू हो चुकी हो, तो बिना उचित कारण के प्लीडिंग में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय ने एक भागीदारी (पार्टीशन) वाद में निचली अदालत द्वारा संशोधन याचिका को अस्वीकार करने के आदेश को बरकरार रखा, क्योंकि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि प्रस्तावित संशोधन को पहले क्यों नहीं लाया जा सकता था। इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो संशोधन वाद के मूल स्वरूप को बदलते हैं या नए तथ्य जोड़ते हैं, उन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए।

- *सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश VI नियम 17 – सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन पर रोक- याचिकाकर्ताओं (निचली अदालत में वादी) ने 2005 में भागीदारी वाद दायर किया, लेकिन 2017 में, जब मुकदमे की सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी और गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे, तब संशोधन की मांग की (पैरा 2-3)।*
- *निर्णय: आदेश VI नियम 17 CPC के अनुसार, यदि मुकदमे की सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो संशोधन की अनुमति तभी दी जा सकती है जब याचिकाकर्ता यह साबित करें कि उन्होंने उचित तत्परता किया था और फिर भी पहले संशोधन नहीं ला सके (पैरा 8)।*
- *- संशोधन जो नए दावे जोड़ते हैं, मुकदमे के मूल स्वरूप को बदलते हैं, या वाद-पत्र को पूरी तरह से नया रूप देते हैं, वे स्वीकार्य नहीं होते (पैरा 9)।*

संदर्भित मामले:बसवराज बनाम इंदिरा एवं अन्य [(2024) 3 SCC 705], एम. रेवान्ना बनाम अंजनम्मा [(2019) 4 SCC 332] (पैरा 9)।

- *संशोधन के लिए देर से आवेदन – उचित तत्परता आवश्यक - याचिकाकर्ताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने वाद दायर करने के 12 वर्षों बाद ही संशोधन क्यों मांगा (पैरा 4)।- संशोधन में नई संपत्तियों और तथ्यों को जोड़ा गया, जबकि ये तथ्य वादीगण को मुकदमे के आरंभ में ही ज्ञात थे (पैरा 9)।*
- *वाद-पत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव की अनुमति नहीं - संशोधन याचिका 11 पृष्ठों की थी और इसमें व्यापक बदलाव प्रस्तावित किए गए थे, जिससे मूल वाद-पत्र पूरी तरह बदल जाता (पैरा 9)।*
- *सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संशोधन का उपयोग मुकदमे के मूल स्वरूप को बदलने या नए कारण जोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता** (पैरा 9)।*
- *निर्णय: प्रस्तावित संशोधन मुकदमे की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देते, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया (पैरा 9)।*
- *संदर्भित मामले:एलआईसी बनाम संजीव बिल्डर्स (P) लिमिटेड [(2022) SCC OnLine SC 1128] (पैरा 9)।*
- *मुकदमे की स्थिति – संशोधन की अनुमति पर प्रभाव - जब संशोधन आवेदन दायर किया गया, तब वादीगण के आठ गवाहों की गवाही हो चुकी थी और प्रतिवादियों ने अपने साक्ष्य समाप्त कर दिए थे (पैरा 5)।*
- *संशोधन याचिका उस समय दायर की गई जब मुकदमे की अंतिम बहस होने वाली थी, जिससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि यह देरी की रणनीति हो सकती है (पैरा 5)।*

- *एम. रेवान्ना बनाम अंजनम्मा* [(2019) 4 SCC 332] (पैरा 9-10)। वाद की प्रकृति, आदेश VI नियम 17 CPC के तहत निर्धारित बाध्यकारी प्रावधानों को प्रभावित नहीं कर सकती** (पैरा 10)।*
- *उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार – क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं पाया गया - याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने संशोधन याचिका को अस्वीकार कर क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है (पैरा 6)। - उच्च न्यायालय ने कोई ऐसी त्रुटि नहीं पाई और यह कहा कि निचली अदालत का आदेश विधिक सिद्धांतों के अनुरूप है (पैरा 10)।*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

दिनांक: 28-02-2025

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और मैं वर्तमान याचिका को प्रवेश के चरण में ही निपटाने का इरादा रखता हूँ।

02. याचिकाकर्ता, विद्वान उप न्यायाधीश-VI, गोपालगंज द्वारा शीर्षक वाद संख्या 589/2005 में पारित दिनांक 30.06.2017 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश VI नियम 17 के तहत वादी/याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दिनांक 27.04.2017 के संशोधन याचिका को खारिज कर दिया।

03. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता विद्वान निचली अदालत के समक्ष वादी हैं और उन्होंने अन्य

राहत के अलावा मुकदमे की संपत्ति के आधे हिस्से के अपने दावे के लिए शीर्षक विभाजन वाद संख्या 589/2005 दायर किया है। मामला आगे बढ़ा और वादीगण ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और जब मामला वादीगण के साक्ष्य के चरण में था, वादीगण ने वाद में संशोधन के लिए संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत दिनांक 27.04.2017 को एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादियों ने संशोधन याचिका की स्थिरता को चुनौती देते हुए दिनांक 25.05.2017 को अपना प्रतिउत्तर दायर किया। विद्वान निचली अदालत ने दिनांक 30.06.2017 के आदेश के तहत वादीगण द्वारा संशोधन के लिए की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है ।

04. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि पेश किए जाने वाले संशोधन काफी औपचारिक प्रकृति के हैं और मामले के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय में मदद करेंगे और इस कारण से, विद्वान ट्रायल कोर्ट को संशोधन याचिका को अनुमति देनी चाहिए थी। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह नहीं माना कि यह विभाजन का मुकदमा है और केवल कुछ संपत्ति जोड़ने से दूसरे पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही यह वादी के साक्ष्य के स्तर पर मांगा गया हो। इसके अलावा, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि प्रस्तावित संशोधनों को अनुमति देने से दूसरे पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा, जो काफी औपचारिक प्रकृति के हैं। इस प्रकार, विद्वान वकील ने कहा कि विवादित आदेश कानून की नजर में खराब है और इसे रद्द करने की जरूरत है।

05. प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने कहा कि विवादित आदेश में कोई कमी नहीं है और इसमें किसी हस्तक्षेप की

जरूरत नहीं है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि संशोधन याचिका स्वयं मेंटेन करने योग्य नहीं थी क्योंकि यह वाद वर्ष 2005 में दायर किया गया था और संशोधन वर्ष 2017 में लाया गया है, वह भी ट्रायल शुरू होने के बाद और जब वादी पहले ही आठ गवाहों की जांच कर चुके हैं। वादी/याचिकाकर्ता यह दिखाने में पूरी तरह विफल रहे कि संशोधनों को ट्रायल शुरू होने से पहले क्यों नहीं पेश किया जा सकता था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि इसके अलावा, वाद में बड़ी संख्या में संशोधन शामिल करने की मांग की गई थी और संशोधन आवेदन में कई नए तथ्यों का उल्लेख किया गया है। यदि सभी तथ्य वादी के ज्ञान में थे, तो उन्हें इन तथ्यों को पहले लाना चाहिए था, न कि इस स्तर पर। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादियों का साक्ष्य बंद हो चुका था और जब मामला अंतिम चरण में था, जब वादी का साक्ष्य बंद किया जा रहा था और मामले को बहस के लिए तय किया जाना था, तब संशोधन याचिका दायर की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मूल वादी स्वयं एक शिक्षक था और जब उसने मुकदमा दायर किया था, तब वह पूरी तरह स्वस्थ था और उसकी मृत्यु उसके साक्ष्य बंद होने के बाद हुई। इसलिए, मूल वादी द्वारा सभी तथ्यों का उल्लेख न करने या सभी संपत्तियों को न लाने या टुकड़ों में वाद दायर करने के बारे में कोई भी कथन टिकने योग्य नहीं है। वादी/याचिकाकर्ता समय से पहले संशोधन न लाने के लिए कोई उचित तत्परता दिखाने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं है और इसे कायम रखा जाना चाहिए।

06. मैंने पक्षों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण पर अपना गहन विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

07. संहिता के आदेश VI नियम 17 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

> *"17. दलीलों में संशोधन.- न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को अपनी दलीलों को ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है जो न्यायसंगत हो, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं:*
>
> *बशर्ते कि परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि उचित तत्परता के बावजूद, पक्ष परीक्षण शुरू होने से पहले मामला नहीं उठा सकता था।"*

08. प्रावधान के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय परीक्षण शुरू होने के बाद किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं देगा जब तक कि कोई पक्ष यह न दिखा सके कि उचित तत्परता के बावजूद, संशोधन समय से पहले नहीं मांगा जा सकता था। इसलिए इस स्तर पर संशोधन की मांग करना गलत है क्योंकि मुकदमा न केवल शुरू हो चुका है बल्कि यह अपने अंतिम चरण में भी पहुंच चुका है।

09. संशोधन आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि यह 11 पृष्ठों की संशोधन याचिका है और इसमें बड़ी संख्या में संशोधन मांगे गए हैं। यहां तक कि संशोधन तब मांगे गए हैं जब प्रतिवादियों के साक्ष्य बंद हो चुके हैं और उसके बाद वादीगण ने अपनी ओर से सभी गवाहों की जांच भी कर ली है। उचित तत्परता के लिए, वादीगण ने सिर्फ इतना उल्लेख किया है कि वादीगण के दिवंगत पिता (मूल वादी) काफी वृद्ध व्यक्ति थे और वाद दायर करते समय, उन्होंने सभी संपत्तियों और वंशावली वृक्ष का उल्लेख नहीं किया और एक संपत्ति को छोड़कर, अन्य सभी संपत्तियों का विभाजन जो उल्लेख करने के लिए छोड़ दिया गया है, इस संशोधन द्वारा मांगा गया है। इसके बाद, संपत्ति के विवरण में संशोधन सहित कुल 17 संशोधन मांगे गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के संशोधनों की अनुमति दी जा सकती है और इस स्तर पर। सबसे पहले, संशोधन याचिका शिकायत को ओवरहाल करने के लिए बनाई गई है और संशोधन की आड़ में शिकायत को ओवरहाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स (पी) लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसे 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1128 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें यह माना गया है कि जहां संशोधन मुकदमे की प्रकृति या कार्रवाई के कारण को बदलता है, ताकि शिकायत में स्थापित मामले से अलग एक बिल्कुल नया मामला स्थापित हो, तो संशोधन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। दूसरे, संशोधन की मांग बहुत देर से की गई है जब पक्षकारों ने पहले ही अपने साक्ष्य दर्ज कर लिए हैं। यहां तक कि संशोधन के लिए बताए गए कारण

भी किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। केवल यह कहना कि मूल वादी ने तथ्य का उल्लेख नहीं किया, बेतुका प्रतीत होता है। इसलिए, वादी/याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया संशोधन संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित है। वादी/याचिकाकर्ता यह दिखाने में पूरी तरह विफल रहे हैं कि उचित तत्परता के बावजूद वे समय से पहले मामले को नहीं उठा सकते थे। इसलिए, ऐसा संशोधन संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान से प्रभावित होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बसवराज बनाम इंदिरा एवं अन्य के मामले में (2024) 3 एससीसी 705 में रिपोर्ट किया है कि यदि उचित तत्परता नहीं दिखाया गया है तो न्यायालय को विलंबित चरणों में संशोधन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बसवराज (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2019) 4 एससीसी 332 में रिपोर्ट किए गए एम. रेवन्ना बनाम अंजनम्मा के मामले को उद्धृत किया और माना कि संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए आवेदन करने पर रोक है, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि उचित तत्परता के बावजूद पक्षकार पहले इस मुद्दे को नहीं उठा सकता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन की मांग करने वाले पक्षकार पर यह दिखाने का भार है कि उचित तत्परता के बावजूद ऐसा संशोधन पहले नहीं मांगा जा सकता था।

10. यहां पहले की गई चर्चा के आलोक में, मुझे आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं दिखती और न ही मुझे लगता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र में कोई त्रुटि की है, इसलिए, गोपालगंज के विद्वान

सब जज-VI द्वारा टाइटल सूट संख्या 589/2005 में पारित 30.06.2017 के आरोपित आदेश की पुष्टि की जाती है।

11. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।